बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग, बिहार
विकास भवन, पटना–15.

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी का संविदा आधारित नियोजन सूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के कुल – 06 (छह) {अनारक्षित–02, अनारक्षित महिला–01, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01, पिछड़ा वर्ग–01, तथा अनुसूचित जाति–01} पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दिनांक 10.07.2015 एवं पत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016 में निहित प्रावधान के तहत बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसकी **अंतिम तिथि–30.11.2018** है। इससे संबंधित विस्तृत सूचना एवं आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट http://health.bih.nic.in/ पर अवलोकन/डाउनलोड की जा सकती है।

ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

ज्ञापांकः–../स्वा०, पटना, दिनांक–.../

प्रतिलिपि :– पांच अतिरिक्त प्रतियों एवं एक सी0 डी0 सहित निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियोजन से संबंधित सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय तथा प्रेस कतरन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

ज्ञापांकः–1512(5)/स्वा०, पटना, दिनांक–8/11/18/

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय नोडल पदाधिकारी (श्री कुमार Mobile No. 9431859626 एवं E-mail Id. health-personnel-bih@ gov.in) के माध्यम से E-Advertisement, Social Media Communication Hub तथा Integrated Common Website एवं विभागीय वेबसाईट पर संलग्न विज्ञापन प्रारूप एवं आवेदन प्रारूप अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

D:\SANJIV KUMAR\ALL LETTER.DOCX

784

1512(5)
8/11/18

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर संविदा आधारित नियोजन सूचना।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदो के विरूद्ध कुल–06 (छह) (अनारक्षित–03, अनु0 जा0–01, अत्यंत पि0 वर्ग–01, पिछड़ा वर्ग–01) पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक – 10.07.2015 एवं पत्र संख्या–3815, दिनांक–11.03.2016 के निहित प्रावधान के तहत बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारी से निम्नांकित शर्त्तो पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक होगी। आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारम्भ होगा।

6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि
(क) उनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
(ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
(ग) कभी किसी मामले में दंडित नही है।
(घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. नियोजन के समय स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।

8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

10. आरक्षण कोटि के विरूद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी.पी.ओ. की स्वअभिप्रमाणित प्रति, अंतिम पांच वर्षों की चारित्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. संविदा पर नियोजन के किसी भी स्तर पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी की कुल संख्या/कोटिवार संख्या में परिवर्तन (कम/अधिक) करने की शक्ति विभाग के पास सुरक्षित रहेगी।

12. इच्छुक सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संलग्न) में हाथों–हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक– .11.2018 के 05:00 बजे अपराहन् तक स्वास्थ्य विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड पटना–15 में जमा करेंगे। संबंधित सूचना स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट http://www.health.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

08/11/18
(राम ईश्वर)
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।